प्रेस नोट थाना सिंधौली
जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक 13.05.2026

थाना सिंधौली पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए शातिर अभियुक्त को बने/अधबने तमंचे, कारतूस एवं शस्त्र निर्माण उपकरणों सहित किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण में थाना सिंधौली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम तेरा में दबिश देकर एक शातिर अभियुक्त अतीक अहमद को अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से बने/अधबने तमंचे, कारतूस तथा शस्त्र निर्माण में प्रयुक्त समस्त उपकरण बरामद किए गए। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.05.2026 को उ0नि0 श्री सचिन कुमार मय हमराही पुलिस टीम थाना क्षेत्र में गश्त/चेकिंग एवं तलाश अभियुक्तगण में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम तेरा, थाना सिंधौली के जंगल क्षेत्र में दबिश दी गई, जहाँ अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र सद्दीक अहमद निवासी ग्राम तेरा, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 58 वर्ष को अवैध शस्त्र बनाते हुए दिन में करीब 12:15 बजे मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद तमंचा .315 बोर चालू हालत में, 02 अदद तमंचा .315 बोर अधबने, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा तमंचा निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो पूर्व में भी अवैध शस्त्र निर्माण के प्रकरण में जेल जा चुका है तथा इसके विरुद्ध अन्य अभियोग भी पंजीकृत हैं। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में वादी उ0नि0 श्री सचिन कुमार की तहरीर के आधार पर थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर पर **मु0अ0सं0 219/2026, धारा 5/25 आयुध अधिनियम** बनाम अतीक अहमद पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे मय माल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

अतीक अहमद पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम तेरा थाना सिंधौली शाहजहाँपुर उम्र करीब 58 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 219/2026 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 276/1993, धारा 147/148/149/307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 44/1996, धारा 395/397 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 229/1999, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0 297/2003, धारा 110(जी) दण्ड प्रक्रिया संहिता, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
5. मु0अ0सं0 142/2009, धारा 110(जी) दण्ड प्रक्रिया संहिता, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

6. मु0अ0सं0 600/2013, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
7. मु0अ0सं0 602/2013, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
8. मु0अ0सं0 505/2014, धारा 5/25 आयुध अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
9. मु0अ0सं0 569/2015, धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
10. मु0अ0सं0 515/2015, धारा 5/25 आयुध अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
11. मु0अ0सं0 1572/2017, धारा 5/25 आयुध अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
12. मु0अ0सं0 1573/2017, धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
13. मु0अ0सं0 2313/2017, धारा 3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
14. मु0अ0सं0 2389/2017, धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
15. मु0अ0सं0 2404/2017, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
16. मु0अ0सं0 483/2018, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
17. मु0अ0सं0 61/2020, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
18. मु0अ0सं0 43/2022, धारा 5/25 आयुध अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
19. मु0अ0सं0 269/2025, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
20. मु0अ0सं0 330/2025, धारा 64(2)(ट)/351(2) बीएनएस, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
21. मु0अ0सं0 219/2026, धारा 5/25 आयुध अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर (चालू अवस्था में) ।
2. 02 अदद अवैध अधबने तमंचा .315 बोर।
3. 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
4. तमंचा निर्माण में प्रयुक्त उपकरण, जिनमें एक लोहे की आरी, एक लोहे का पाइप, एक हस्तचालित ड्रिल मशीन, एक शिकंजा, एक आग जलाने वाली हस्तचालित मशीन, एक छोटा एवं एक बड़ा हथौड़ा, एक सिंडाशी, तीन अदद लोहे को घिसने वाली रेती, एक छैनी, एक 10 किलोग्राम का लोहे का बाट, एक लोहे के तार का बण्डल, रेगमाल, एक गुलाबी डिब्बे में आरी के पत्ते, रेती, लोहे की छोटी-बड़ी कीलें, पाइप, पत्ती सहित अन्य उपकरण तथा कुछ मात्रा में कोयला बरामद हुआ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री सचिन कुमार, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री राकेश कुमार, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
3. आरक्षी राहुल बैसला, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
4. आरक्षी प्रवीण भाटी, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
5. आरक्षी आसिफ हुसैन, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
6. महिला मु0आ0 प्रीति, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।
7. महिला आरक्षी शीतल, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।